# HRACI en USIUSI The Gazette of India

असाधारण

**EXTRAORDINARY** 

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 770]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 29, 2011/वैशाख 9, 1933

No. 770]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 29, 2011/VAISAKHA 9, 1933

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2011

का.आ. 949(अ).— केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क खंड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 393 (अ) तारीख 12 मई, 1998 द्वारा तिमलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 के 33 कि.मी. से 94 कि.मी. (होसूर - कृष्णागिरी सेक्शन) तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था;

और प्राधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के अनुसरण में, तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 33.130 कि.मी. से 93.000 कि.मी. ( होसूर - कृष्णागिरी सेक्शन जिसकी कुल लम्बाई 59.87 कि.मी है ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सेक्शन कहा गया है ) तक के विद्यमान चार लेन वाले सेक्शन को 6 लेन का बनाने, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए मैसर्स एच. के. टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एच ब्लाक , पहला तल , धीरूभाई अम्बानी नोलेज सिटी , नवी मुम्बई - 400710 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राहीं कहा गया है) के साथ डिजाईन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और स्थानांतरण के आधार पर एक करार किया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग ) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 648 (अ), तारीख 5 मई, 2005 को, उन बातों के

(1)

सिवाय अधिक्रांत करते हुये जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह अधिसूचित करती है कि उक्त सेक्शन के उपयोग के लिए, फीस, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट यांत्रिक यानों के प्रकार पर उसके स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर उद्गृहीत और संगृहीत की जायेगी और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, समाप्ति की तारीख तक, उक्त फीस को संगृहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है अर्थात् :--

## सारणी

क्रम संख्या	यान का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति एक ओर की यात्रा के लिए प्रति यान प्रति किलोमीटर आधार फीस की दर (रुपये में)
(1)	(2)	(3)
1.	कार, जीप , वैन या हल्के मोटर यान हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल वाहक यान	1.05
•	या मिनी बस	2.20
3.	बस या ट्रक भारी संनिर्माण मशीनरी (भ.सं.म.) या अर्थ मूर्विंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय यान	3.45
5.	(ब.धु.य.) (तीन से छह धुरी) अधिक बड़े आकार वाले यान (सात या अधिक धुरीय)	4.20

- 1. फीस का संग्रहण पथकर प्लाजा जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के 87.500 कि.मी पर अवस्थित है, पर किया जायेगा ।
- 2. फीस के पूर्ववर्ती अवधारण की तारीख से छह मास की अवधि का अवसान न होने तक फीस का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा ।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/560/10-11/सी.ओ./जीसी होसूर-कृष्णागिरी बीओटी] बी. बी. मोहपात्रा, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2011

S.O. 949(E).— Whereas, vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Roads Wing) number S.O. 393 (E), dated the 12<sup>th</sup> May 1998,issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988, (68 of 1988), hereinafter referred to as said Act, entrusted the stretch from Km33 - Km 94 (Hosur - Krishnagiri - section) of National Highway No. 7 in the State of Tamil Nadu to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And whereas, pursuant to the provisions of section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement with M/s HK Toll Road Private Limited Limited, having its registered office at H Block, 1st Floor, Dhirubhai Ambani Knowledge City, Navi Mumbai - 400710 (hereinafter referred to as the Concessionaire) for the development, operation and maintenance of the existing four lane section from Km 33.130 to Km 93.000 (Hosur - Krishnagiri section, total length being 59.87 kilometers) of the National Highway No. 7 in the State of Tamil Nadu (hereinafter referred to as the said section) to six lane divided carriageway on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8 A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 648 (E), dated the 5th May, 2005, except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the Central Government hereby notifies that there shall be levied and collected fee on the type of mechanical vehicles specified in column (2) of the following Table, for the use of said section at the base rate specified in column (3) of the said Table and authorises the Concessionaire to collect and retain the said fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date, namely:--

## Table

Sl. No.	Type of vehicle.	Base rate of fee per vehicle per km per one-way trip for base year 2007-08. (in rupees).
(1)	(2)	(3)
1.	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle.	0.65
2.	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus.	1.05
3.	Bus or Truck.	2.20
4.	Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (three to six axles)	3.45
5	Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

## Notes:-

- 1. The fee shall be collected at the toll plaza situated at Km 87.500 of National Highways No 7.
- 2. The revision of fee shall not be effected until a period of six months has elapsed from date of the immediately preceding determination of fee.

[F. No. NHAI/13013/560/10-11/CO/GC Hosur-Krishnagiri BOT]
B. B. MOHAPATRA, Director